न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	18/2020	2020/00042	28.12.2020	सरकार बनाम शिवचरण सैनी	22.04.2026	1 लगायत 6

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 18/2020 (2020/00042)

उनवान प्रकरण

1. प्रेमचन्द्र जैन (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर। –

आवेदक

बनाम

1. शिवचरण सैनी पुत्र श्री पून्या सैनी उम्र लगभग 42 वर्ष जाति माली (एबीओ व मालिक) फर्म–बाबा चाट भण्डार व्यापार मण्डल अस्पताल के पास, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर निवासी ग्राम आरामपुरा महूकलां तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर ।

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनाक 17.09.2020 को लगभग 04.00 पी.एम. पर दौराने गस्त फर्म –बाबा चाट भण्डार व्यापार मण्डल अस्पताल के पास गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर पर दौराने गस्त निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहीं पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति में अपना नाम शिवचरण सैनी पुत्र श्री पून्या सैनी उम्र लगभग 42 वर्ष जाति माली बताया तथा स्वयं को दुकान मालिक होना बताया। आवेदक ने शिवचरण सैनी को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। शिवचरण सैनी अपनी दुकान पर मावा मिठाई कचोरी, समोचा आदि खाद्य सामग्री आम जनता को विक्रय करता है। आवेदक ने शिवचरण सैनी से फर्म का वर्ष 2020 का खाद्यपदार्थ राजस्ट्रेशन सर्टिफिकेट/लाईसेन्स एवं स्वयं का पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसने दुकान का खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 22210[illegible]01328 दिनांक 20.11.2019 एवं स्वयं का फोटो पहचान पत्र मुझे दिखामा तथा उसकी एक–एक प्रमाणित प्रति आवेदक को दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:21:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायनिर्णयन आमेदन के शाथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में काउन्टर पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु मावा बर्फी जिसे विक्रेता ने मावा व चीनी से निर्मित करना बताया लगभग 5 किलो एक स्टील की ट्रे में रखा हुआ थी। स्टील की ट्रे में रखी हुई मावा बर्फी (गावा व चीनी निर्मिती का निरीक्षण करने पर उसने मिलावट का शक होने पर सौक पर मौजूद विक्रेता व दुकान मालिक शिवचरण सैनी से स्टील की है में रखी हुई मावा बर्फी (मावा व चीनी निर्मित) में से शुद्धता की जाँच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र5 ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के विकय परिसर में एक स्टील की ट्रे रखी हुयी मावा बर्फी (मावां च चीनी निर्मित) में से 2 किलो मावा बर्फी (मावा व चीनी निर्मित) शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बाबत् एक साफ, सूखे खाली बर्तन में खरीदी जिसकी कीमत विकेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 360/— रूपये अक्षरे तीन सौ साठ रुपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहा के हस्ताक्षर करने पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरदीशुदा मावा बर्फी (मावा व चीनी निर्मिती) को अच्छी तरह मिक्स कर उसको चार साफ सूखी खाली कॉच की शीशी में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक शीशी में 40 बूंद फोरमेली की डालकर चारों शिशियों को टाइट बन्द कर चार लेबल तैयार करके उनपर स्थान दिनांक खाद्यवस्तु आदि लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक शीशी पर अलग—अलग चिपकाकर शीशीयों को अलग—अलग बाउन पेपर से लपेटकर पेपर के सिरों की गोद से चिपकाकर शीशीयों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुख्खा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप गय कोड नम्बर एच —1055 गोंद से नियमानुसार प्रत्येक शीशी पर चिपकाकर प्रत्येक शीशी को एक मोटे मजबूत सख्त धागें से बाधकर चार—चार जगह चपडी से शील मोहर करके चारों शीशियों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द शीशियों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

मु0नं0 18/20 (2020/00042) सरकार बनाम शिवचरण सैनी

सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियी तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द शीशी एक आउटर कवर में लपेटकर सील गोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों एक लिफाफे में सील मोहर बन्द आउटर कवर में सील बन्द शीशी व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री अभिषेक सोलोमन जिता सलाहकार एन.टी.सी. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुरके द्वारा दिनांक 18.00.2020 मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर (राजस्थान) के यहाँ जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। बाकी बची नमूने की दो सील बन्द शीशी (ii व iiiपाट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने की शेष एक सील बन्द शीशी (iv पाट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर शील मोहर कर दिनांक 18.09.2020 को स्वयं के द्वारा अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने पत्र कमांक/एफएसएसए/2020/1583 दिनांक 06.10.2020 के द्वारा उक्त नमूने की खाद्य विशलेशक जयपुर की जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/1284/एक्ट/2020/363 दिनांक 28 100.2020 खाद्य कारोबारकर्ता को रजिस्टर्ड डाक से भेजते हुये एक प्रति मुझे दी जिसके अनुसार उका खाद्य वस्तु मावा बर्फी (मावा व चीनी निर्मित) का नमूना अवमानक स्तर (**Sub Standard Food of FSSA 2006**) प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा खाद्य वस्तु मावा बर्फी (मावा व चीनी निर्मित) का नमूना अवमानक स्तर (**Sub Standard Food of FSSA 2006**) प्रकृति का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया गया है जो कि धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:21:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

मु0नं0 18/20 (2020/00042) सरकार बनाम शिवचरण सैनी

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गईं।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य वस्तु मावा बर्फी (मावा व चीनी निर्मित) का नमूना अवमानक स्तर (**Sub Standard Food of FSSA 2006**) प्रकृति का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया गया है जो कि धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विक्रय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही श्री प्रेमचन्द्र जैन द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। उक्त श्री प्रेमचन्द्र जैन द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है। आवेदक द्वारा मद में वर्णित कांच की शीशियों को मौके पर साफ नहीं किया गया। ना ही उनमें किसी तरह का कोई सेम्पिल ही मिन विपक्षी के समक्ष पैक किया गया। मद में वर्णित समस्त कार्यावाही गलत तरीके से दर्शायी गयी है। जबकि ऐसी कोई कार्यवाही मिन विपक्षी के समक्ष नहीं की गयी और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tanwar
Date: 2026.04.24 15:21:42 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. [illegible]/1284/एक्ट/2020/363 दिनांक 28 100.2020 निम्नानुसार है:–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

मु0नं0 18/20 (2020/00042) सरकार बनाम शिवचरण सैनी

Government of Rajasthan

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY,JAIPUR, (RAJASTHAN)

Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-B

Test Report of the Food Analyst

[Refer Regulation (2) of 2.3.1]

जि.खा. एवं स्वा.अधिकारी सवाई माधोपुर

Report No. L.S. / 1284 / Act / 2020 / 1353 Date: 28-09-2020

Certified that I **Shuchita Agrawal, Food Analyst** duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for **Rajasthan state** received from **Sh. Prem Chand Jain, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur** a sample of **"Mava Burfi made from mava and sugar"** bearing Code number and Serial number **H-1855** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur area on **18-09-2020** for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:

The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be **"Mava Burfi made from mava and sugar"** falling under Regulation No. **2.12.1** of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on **21-09-2020 to 28-09-2020** and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) **Sample description :** - Sample is in sealed and intact wide mouth glass bottle.

(2) **Physical appearance :** - Cream coloured soft solid material.

(3) **Label:** - Loose sample.

Sl. No	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Test for added Starch.	FSSAI Manuals of method of analysis of food.	Negative.	Negative.
2.	Test for added Sugar.	----do----	Positive.	Positive.
3.	Test for added Urea.	----do----	Negative.	Negative.
[illegible]	Test for Neutralizer.	----do----	Negative.	Negative.
5.	Test for Saccharin.	----do----	Negative.	As per Regulation No.3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
6.	Added colouring matter.	----do----	Absent.	As per Regulation No. 3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
7.	B.R. Reading of extracted fat at 40.0° C.	----do----	44.4	40.0 to 43.0 (ghee)
8.	Reichert value of extracted fat.	----do----	12.10	Minimum 26.0 (ghee)

The values obtained under parameter B.R. reading at 40.0°C and reichert value of extracted fat indicates that the milk fat (ghee) has been partially substituted by foreign fat.

Opinion- The sample of **"Mava Burfi made from mava and sugar"** bearing Code No. and Sr. No. **H-1855** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur **is Sub-standard as the extracted fat does not conform to the prescribed standards of ghee. The sample is also found to contain extraneous matter (Foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act, 2006.**

Signed this 28th day of September 2020

Food Analyst
(Authorized Signatory)
FOOD ANALYST
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
RAJASTHAN

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur.

Copy to. COMMISSIONER OF FOOD SAFETY CUM
The Director (P.H.), Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:42 IST
Reason: Self(Attested)

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा खाद्य [illegible] बर्फी ([illegible] निर्मित) अवमानक प्रकृति का विक्रय किया गया तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

मु0नं0 18/20 (2020/00042) सरकार बनाम शिवचरण सैनी

अतः अभियुक्तगण को अवमानक प्रकृति की खाद्य वस्तु मावा बर्फी (मावा व चीनी निर्मित) का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत जुर्माना राशि 20,000 रूपये (अक्षरे– बीस हजार रूपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि अदम अनुपालना आदेश अभियुक्त के प्रतिष्ठान का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जावे तथा साथ ही आयुक्त नगर परिषद् गंगापुर सिटी द्वारा एक माह उपरान्त प्रतिष्ठान सील किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा आदेश की तामील तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा करवाई जाकर पालना प्रति न्यायालय में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:42 IST
Reason: SelfAttested